

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 248/11

संस्थापन दिनांक:-30/08/11

फाईलिंग नं. 233504000462011

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रु द्ध

संतोष पिता गजानंद पटवारी
 उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम धौसरा,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 08.11.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 16.05.2011 को दोपहर 02:00 बजे आरक्षी केंद्र आमला जिला बैतूल के अंतर्गत आमला से तोरणवाड़ा मार्ग नदी की पुलिया में महिंद्रा सरपंच ट्रैक्टर ट्राली क. एमपी-28-ई-4722 का चालक होते हुए उक्त ट्रैक्टर को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित करते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक संचालित करते हुए रामेश्वर की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर रामेश्वर को स्वेच्छया उपहति एवं पूरन को घोर उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 16.05.2011 को पूरनलाल यादव के साथ उसकी मोटर सायकिल से ग्राम बोरी जा रहा था। आमला से कुछ आगे बाकी नदी की पुलिया के उपर सामने से एक लाल रंग का महिंद्रा सरपंच ट्रैक्टर मय ट्राली के आया और उनकी मोटर सायकिल को टक्कर मार दी। जिससे वह तथा पूरनलाल दोनों गिर गये। पूरनलाल को सामने माथे, नाक, सिर, दोनों पैर पर चोट लग एवं उसे सिर, दाहिने हाथ के कंधे, कमर व शरीर में मूंदी चोट लगी।

3 फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आमला में महिंद्रा सरपंच ट्रैक्टर ट्राली लाल रंग के चालक के विरुद्ध अपराध क. 126/11 में पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान

मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। घटना स्थल से एक महिंद्रा ट्रैक्टर मय ट्राली के जिसका पंजीयन क्र. एमपी-28-ई-4722 एवं अभियुक्त से उक्त ट्रैक्टर का पंजीयन कार्ड एवं लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आहत पूरनलाल की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर महिंद्रा सरपंच ट्रैक्टर ट्राली क्र. एमपी-28-ई-4722 का चालक होते हुए उक्त ट्रैक्टर को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित करते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक संचालित करते हुए रामेश्वर की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर रामेश्वर को स्वेच्छया उपहति एवं पूरन को घोर उपहति कारित की ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क्र. 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष

6 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7 पूरनलाल (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय मोटर सायकिल से ग्राम बोरी टीका कार्यक्रम में जा रहा था। मोटर सायकिल में पीछे रामेश्वर बैठा हुआ था। तभी पीछे से एक ट्रैक्टर आया और मोटर सायकिल पर टक्कर मार दिया जिससे उसके माथे, नाक एवं बांये पैर में चोट आयी थी। बांये पैर की हड्डी टूट गयी थी। रामेश्वर गोहे (अ.सा.-7) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह पूरनलाल की मोटर

सायकिल से ग्राम बोरी की ओर जा रहा था। वह मोटर सायकिल में पीछे बैठा हुआ था तभी एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी जिससे वह दूर फिंका गया।

8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) का कहना है कि वह दिनांक 16.05.2011 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने आहत रमेश का परीक्षण किया था जिसमें आहत को सिर एवं दाहिने हाथ पर दर्द पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) को प्रमाणित किया है।

9 मेरी पापड़े (अ.सा.-9) का कहना है कि वह दिनांक 16.05.2011 को पाठर चिकित्सालय में मेडिकल रिकार्ड आफिसर के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को डॉ. वंदना द्वारा आहत पूरनलाल का परीक्षण किया गया था जिसमें डॉ. वंदना ने आहत पूरनलाल के लेफ्ट घुटने के नीचे 6 गुणा 3 गुणा 2 सेमी. आकार का बड़ा कटा हुआ घाव, 1 गुणा 0.5 गुणा 0.5 सेमी. ये राईटनोस थी तथा बांये गाल के उपर 2 गुण 1 गुणा 0.5 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव पाया था। साक्षी ने डॉ. वंदना के द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) पर डॉ. वंदन के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षीगण एवं साक्षी पूरनलाल तथा रामेश्वर गोहे के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहतगण को एक्सीडेंट से चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 सरजेराव भोंसले (अ.सा.-8) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 16.05.2011 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को फरियादी रामेश्वर की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 126/11 धारा 279, 337 भा.दं.सं. में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) एवं उक्त दिनांक को ही नक्शा मौका (प्रदर्श पी-11) एवं महिंद्रा ट्रैक्टर मय ट्राली के जप्त कर (प्रदर्श पी-12) का जप्ती पत्रक एवं उक्त ट्रैक्टर के दस्तावेज जप्त कर (प्रदर्श पी-4) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-5) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि आहत पूरनलाल को अस्थिभंग पाये जाने से उसने अभियोग पत्र में धारा 338 का ईजाफा किया था।

11 प्रभू (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसकी गैस एजेंसी के पास भवानी ट्रैक्टर गैरिज की दुकान है उसने थाना आमला के प्रागण में ट्रैक्टर क्र. एमपी-28-ई-4722 का मैकेनिकल परीक्षण किया था जिसमें ट्रैक्टर में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं पायी थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) को प्रमाणित किया है।

12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में अभियोजन यह स्थापित नहीं कर पाया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ट्रैक्टर को चला रहा था। साथ ही स्वतंत्र साक्षियों ने प्रकरण का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में नितीराम (अ.सा.-1), मंशाराम (अ.सा.-2), प्रभूदयाल (अ.सा.-4) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। साक्षी प्रभूदयाल (अ.सा.-4) ने अपने कथनों में जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-4) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-5), प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-6) पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है लेकिन अपने समक्ष अभियुक्त से कुछ भी जप्त किया जाना और गिरफ्तार किये जाने से इनकार किया है। उपर्युक्त साक्षीगण मंशाराम एवं नितीराम से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु साक्षी प्रभूदयाल (अ.सा.-4) ने अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर यह सही होना बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्त संतोष से ट्रैक्टर महिंद्रा और दस्तावेज जप्त कर उसे गिरफ्तार किया था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसने इस आशय का प्रमाण पत्र दिया था कि घटना दिनांक को ट्रैक्टर संतोष चला रहा था जिससे मोटर सायकिल वाले घायल हो गये थे परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने कागजों पर थाने में हस्ताक्षर लिए थे। प्रमाण पत्र क्या होता है, किसने बनाया था उसे नहीं मालूम। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14 अभिलेख पर आहत पूरनलाल (अ.सा.-3) एवं रामेश्वर गोहे (अ.सा.-7) की साक्ष्य उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत *भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552* उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से यह देखा जाना है कि उनके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं।

15 पूरनलाल (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त संतोष को नहीं जानता है। घटना के समय मोटर सायकिल वह चला रहा था। रामेश्वर पीछे बैठा था। आमला बोरी रोड के रपटे के उपर एक ट्रैक्टर

सामने से तेज गति से आया और मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया जिससे उसे चोटें आयी थी। **ट्रेक्टर कौन चला रहा था उसने नहीं देखा था।** उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि दिनांक 16.05.2011 को अभियुक्त संतोष ने ट्रेक्टर क्र. एमपी-28-ई-4722 को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया था।

16 रामेश्वर गोहे (अ.सा.-7) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त संतोष को नहीं जानता है। वह मोटर सायकिल में पीछे बैठा था। पूरनलाल मोटर सायकिल चला रहा था। तभी एक ट्रेक्टर आया और उस ट्रेक्टर के चालक ने गलत दिशा में ट्रेक्टर को चलाकर सीधी टक्कर मार दी। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी थी। उसे और पूरनलाल को गांव के लोग ईलाज के लिए ले गये थे।

17 पूरनलाल (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना कैसे हुई इस बात की उसे जानकारी नहीं है। वह बेहोश हो गया था उसे कुछ भी मालूम नहीं है। रामेश्वर (अ.सा.-7) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे घटना का दिन याद नहीं है। घटना अचानक हुई थी। वह देख नहीं पाया था। घटना के समय वाहन चालक को वह पहले से नहीं जानता था और न ही उसे चलाते हुए देख पाया था। उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय ट्रेक्टर का रंग, नंबर नहीं बताया था। यदि उसके पुलिस कथन में ऐसा लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता।

18 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त संतोष ट्रेक्टर क्र. एमपी-28-ई-4722 को चला रहा था। स्वयं फरियादी रामेश्वर एवं आहत पूरनलाल ने घटना का समर्थन नहीं किया है। साथ ही उपर्युक्त साक्षीगण ने अभियुक्त को न पहचानना अपने कथनों में बताया है। ऐसी स्थिति में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने ही ट्रेक्टर को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मोटर सायकिल में टक्कर मारी थी। फलतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त संतोष ने ट्रेक्टर क्र. एमपी-28-ई-4722 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मोटर सायकिल में टक्कर मारकर फरियादी रामेश्वर को उपहति एवं आहत पूरनलाल को घोर उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

19 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना

दिनांक, समय व स्थान पर महिंद्रा सरपंच ट्रैक्टर ड्राली क. एमपी-28-ई-4722 का चालक होते हुए उक्त ट्रैक्टर को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित करते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक संचालित करते हुए रामेश्वर की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर रामेश्वर को स्वेच्छया उपहति एवं पूरन को घोर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त संतोष को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

20 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21 प्रकरण में जप्तशुदा ट्रैक्टर क. एमपी-28-ई-4722 मय ड्राली के आवेदक/सुपुर्ददार प्रभूदयाल पिता गजानंद निवासी ग्राम धौंसरा थाना आमला जिला बैतूल को मय दस्तावेजों के अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

22 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)